अधिसूचना NO.4/2015 [एफ. सं.: डीजीआईटी (एस)/सीपीसी (टीडीएस)/डीसीआईटी/15एच/2015-16/14425-556, दिनांक 1-12-2015

आयकर अधिनियम की धारा 197क में कुछ मामलों में आयकर नियमों के नियम 29ग के अनुसार प्रपत्र 15छ/15ज का उपयोग करके घोषणा प्रस्तुत करने पर कोई कटौती नहीं करने का प्रावधान है। ऐसी घोषणा दाखिल करने का तरीका और विवरण आयकर नियमों के नियम 29ग में निर्धारित किया गया है। धारा 197क की उपधारा (1) या उपधारा (1क) या उपधारा (1ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (जिसे इसके बाद "भुगतानकर्ता" कहा जाएगा) भुगतानकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से उचित सत्यापन के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप में घोषणा प्रस्तुत करने में सक्षम करेगा। धारा 206कक(2) के प्रावधानों के अनुसार घोषणाकर्ता को घोषणा प्रपत्र 15छ/ज में अनिवार्य रूप से अपना पैन उद्धृत करना होगा।

घोषणा (कागजी/इलेक्ट्रॉनिक) को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। भुगतानकर्ता को कागजी घोषणा को डिजिटाइज़ करना होगा तथा किसी विशेष तिमाही के दौरान प्राप्त सभी घोषणाओं (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और डिजिटाइज्ड घोषणा सहित) को तिमाही आधार पर विभागीय साइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा, नियम 29ग के खंड 5 में यह प्रावधान है कि भुगतानकर्ता को नियम 31क के उपनियम (4) के खंड (vii) के प्रावधानों के अनुसार तिमाही टीडीएस विवरण में 15छ/15ज घोषणाओं के अंतर्गत आने वाले लेनदेन को भी प्रस्तुत करना होगा, भले ही उक्त तिमाही में कोई कर नहीं काटा गया हो।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड) द्वारा जारी अधिसूचना के पैरा 2 के उप पैरा (7) के तहत सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए *वीडियो* एसओ. सं..2663 (ङ) दिनांक 29 सितंबर 2015, प्रधान आयकर महानिदेशक (सिस्टम) इसके द्वारा इस संबंध में प्रक्रिया, प्रारूप और मानकों को निम्नलिखित रूप में निर्दिष्ट करता हैः

1. इलेक्ट्रॉनिक घोषणा की प्रस्तुति और सत्यापनः

नियम 29ग भुगतानकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से उचित सत्यापन के बाद इलेक्ट्रॉनिक घोषणा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। भुगतानकर्ता इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से घोषणाकर्ता के उचित सत्यापन के लिए जिम्मेदार होगा और घोषणाकर्ता के अस्वीकृति न होने को सुनिश्चित करने के लिए उचित परिश्रम के बाद सत्यापन प्रक्रिया को लागू करेगा। भुगतानकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक घोषणा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में सभी इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों का अभिलेख रखना होगा तथा भुगतानकर्ता किसी भी विवाद की स्थिति में घोषणाकर्ता की पहचान और प्रमाण-पत्र स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा। धारा 206कक(2) के प्रावधानों के अनुसार घोषणाकर्ता को घोषणा प्रपत्र 15जी/एच में अनिवार्य रूप से अपना पैन उद्धृत करना होगा।

2. यूआईएन (विशिष्ट पहचान संख्या) का आवंटन:

2.1 यूआईएन में निम्नलिखित तीन क्षेत्र (क), (ख) और (ग) शामिल होंगे:

(*a*) अनुक्रम संख्या (प्रपत्र 15छ/15ज के लिए 10 अक्षरांकीय) निम्नानुसार दी गई है;

15छ	15ज
जी से शुरू होने वाले 10 अक्षरांकीय अक्षर और उसके बाद 9 अंक)उदाहरण, जी000000001)	एच से शुरू होने वाले 10 अक्षरांकीयअक्षर और उसके बाद 09 अंक)उदाहरण, एच0000000001)

(*b*) वित्तीय वर्ष जिसके लिए घोषणा प्रस्तुत की जा रही है

(*c*) भुगतानकर्ता का टैन

2.2 भुगतानकर्ता द्वारा कागजी घोषणा को डिजिटल किया जाएगा और उस पर उसी "चलित अनुक्रम संख्या (यूआईएन का क्षेत्र 'क') श्रृंखला" में से अनुक्रम संख्या अंकित होगी, जैसा कि ऑनलाइन प्रस्तुति के लिए उपयोग किया गया है।

2.3 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में भुगतानकर्ता के प्रत्येक टैन के मामले में यूआईएन चलित अनुक्रम संख्या श्रृंखला को 1 पर पुनर्नियोजित किया जाएगा।

3. आयकर प्राधिकारी को घोषणा प्रस्तुत करना या उपलब्ध कराना:

3.1 भुगतानकर्ता तिमाही के दौरान प्राप्त 15छ और 15ज घोषणाओं (डिजिटाइज्ड/इलेक्ट्रॉनिक) को तिमाही आधार पर ई-फाइलिंग साइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर दिए गए फ़ाइल प्रारूप में अपलोड करेगा।

3.2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, भुगतानकर्ता नियम 31क के उपनियम (4) के खंड (vii) के प्रावधानों के अनुसार 15छ/ज घोषणा के अंतर्गत आने वाले लेनदेन के विरुद्ध त्रैमासिक टीडीएस विवरण में "अनुक्रम संख्या" (यूआईएन का फील्ड 'क') उद्धृत करेगा, भले ही उक्त तिमाही में कोई कर नहीं काटा गया हो।

4. सुलह व्यवस्था:

4.1 भुगतानकर्ता तिमाही टीडीएस विवरण में प्रतिवेदन के साथ-साथ तिमाही आधार पर घोषणाओं को अपलोड करने के माध्यम से आयकर विभाग को प्रतिवेदन किए गए यूआईएन के साथ आवंटित यूआईएन के समाधान के लिए जिम्मेदार होगा।

4.2 भुगतानकर्ता निम्नलिखित यूआईएन के लिए अपवादात्मक प्रतिवेदन दाखिल करेगा: क) टीडीएस विवरण में प्रतिवेदन न किए गए यूआईएन ख) आयकर विभाग की वेबसाइट पर यूआईएन अपलोड नहीं किया गया है। प्रतिवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध कराया जाएगा।

■■